फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री महेन्द्रसिंह — **विपक्षी : श्री नन्दलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 50/23**

जीसीएमएस : 2023/238

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 24.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2 से 7, 9, 10, 12 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ. के तहत् प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि बंटवाडा चाहा गया हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार विपक्षीगण मौका परिवर्तन करने पर उतारू है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिना विधिक बंटवाडा करवाये किसी विशिष्ट भू भाग हिस्सा भूमि का मौका परिवर्तन नहीं कर सकता हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। वादग्रस्त भूमि में से विपक्षीगण द्वारा किसी विशिष्ट भू भाग का मौका परिवर्तन कर देता है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी परन्तु केवल मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के साथ न्याय नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:13 IST
Reason: SelfAttested

का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के विरूद्व इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 387 पर दर्ज आराजी नम्बर 121 किता 1 रकबा 1.6187 हेक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:13 IST
Reason: SelfAttested